न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—पवन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः—02/2021

गोमद राम पुत्र मंगलाराम जाति नायक निवासी 7 एल.एम.—ए हाल 4 एल एम तहसील अनूपगढ़ (राज.)।

—— **प्रार्थी**

बनाम्

1. खेताराम पुत्र ज्वारा राम जाति नायक निवासी 4 एल. एम. तहसील अनूपगढ़
2. पन्नाराम पुत्र ज्वारा राम जाति नायक निवासी 4 एल. एम. तहसील अनूपगढ़

—— **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना—पत्र अर्न्तगत धारा—251 'क' राज.काश्त अधिनियम

—::निर्णय::— **दिनांकः—30.06.2021**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी गोमदराम ने न्यायालय में प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया कि आवेदक की तहसील अनूपगढ़ के चक 7 एलएम—ए का मुरब्बा नं. 29 पत्थर नं. 275/478 के किला नं. 1ता11 की कुल 2.783 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि है। अनावेदकगण की उपखण्ड व तहसील अनूपगढ, भू.अ.नि.क्षेत्र 4 एल.एम. के चक 7 एलएम—ए का मुरब्बा नं. 28 पत्थर नं. 275/477 के किला नम्बर नं. 13/2, 20 से 25 में कुल 1.644 हैक्टर कृषि भूमि है। आवेदक व अनावेदकगण की भूमि के साथ वाटरवर्क्स की खाली बनी है तथा इस वाटर वर्क्स की खाली पर भूमि में प्रवेश करने के लिए अनावेदकगण की भूमि के किला नं. 25 के साथ पुलिया बनी हुई है, पुलिया के साथ चिपती अनावेदक की उक्त कृषि भूमि ग्राम 7 एलएम—ए का मुरब्बा नं. 28 पत्थर नं. 275/477 के किला नं. 25 के दक्षिणी पूर्वी कोने में 16*16 फुट रास्ता, प्रार्थी अपनी कृषि भूमि के लिए स्वीकृत करवाना चाहता है, वांछित रास्ता स्वीकृत होने से प्रार्थी गांव के मार्ग से जुड़ जाएगा। आवेदक की उक्त भूमि के लिए कोई विद्यमान स्वीकृतशुदा मार्ग नहीं है। आवेदक द्वारा चाहा गया मार्ग लघुत्तम, सुगम, आत्यांतिक आवश्यकता का है। जिसके लिए आवेदक नियमानुसार अवधारित प्रतिकर संदाय करने को तैयार है। आवेदक अपनी उक्त भूमि में आवागमन व ट्रैक्टर, ट्राली, कृषि उपकरण, कृषि उपज आदि अनावेदकगण की उक्त भूमि में से लेकर आता जाता था लेकिन अनावेदकगण ने रास्ता बंद कर दिया है। जिस पर अर्सा करीब पन्द्रह रोज पूर्व आवेदक ने अपनी उक्त कृषि भूमि के लिए उक्त अनावेदकगण से वांछित मार्ग बनाने/स्वीकृत करवाने के लिए आग्रह किया तो वे स्पष्ट इंकार हो गए इसलिए आवेदन पेश है। अतः आवेदन—पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक की उक्त वर्णित भूमि के लिए अनावेदकगण की भूमि तहसील अनूपगढ़ के ग्राम 7 एलएम—ए का मुरब्बा नं. 28 पत्थर नं. 275/477 के किला नम्बर नं. 25 के दक्षिणी पूर्वी कोने में 16*16 फुट रास्ता स्वीकृत किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.08.01 14:32:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया तथा भू. अभिलेख निरीक्षक से रिपोर्ट तलब की। अप्रार्थीगण पर नोटिस की तामील होने पर अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया कि प्रार्थीयान के नाम से चक 7 एलएम ए का मु.नं. 28, पत्थर नं. 275/477 में किला नं. 13/2 का 0.126, 20 ता 25 सालम इस प्रकार कुल 1.644 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी रकबा है। गोमदराम को भाईचारा के तौर पर रास्ता दिया हुआ था लेकिन फसल का नुकसान होने के कारण

प्रार्थीयान ने उक्त रास्ता बन्द कर दिया। प्रार्थीयान अपने उक्त रकबा में गोमदराम को रास्ता नहीं देना चाहता। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि नोटिस की कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जावे।

मुताबिक रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक, नाहरॉवाली चक 4 एलएम के पत्थर नं.–274/477 के किला नं.–1,10,11,20,21 में खाला बना हुआ है। जिससे आबादी में बनी वाटर वर्क्स (जलदाय) डिग्गी में पानी भरा जाता है उक्त पत्थर नं. के किला नं.–21 के पश्चिमी–दक्षिणी कोने पर पुलिया बनी हुई है। जो अप्रार्थी के चक 7 एलएम ए के पत्थर नं.–275/477 के किला नं.–25 के दक्षिणी–पूर्वी कौने से सटता (चिपता) है। प्रार्थी गोमन्दराम अप्रार्थी के किला नं.–25 के दक्षिणी–पूर्वी कौने से 16*16 फीट का रास्ता लेना चाहता है। जिससे वो गांव की फिरनी से अपनी कृषि भूमि मे आवागमन कर सके। उक्त वांछित रास्ता निकटतम है। प्रार्थी को अन्य कोई स्थाई रास्ता वर्तमान में नही है। मौका पर अप्रार्थी ने आबादी की तरफ अपनी कृषि भूमि के तारबंदी की हुई है। वर्तमान में खाले के पूर्व दिशा से व नहर के पटरे से होते हुए अपने वैकल्पिक मार्ग द्वारा वर्तमान में अपनी कृषि भूमि में आवागमन करते है।

तदपंरात बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वांछित रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया तथा यह भी निवेदन किया कि भू.अ. निरीक्षक नाहरॉवाली द्वारा प्रार्थी की भूमि के कोई मार्ग विद्यमान नहीं होने एवं वांछित मार्ग के अत्यान्तिक आवश्यकता का, लघुत्तम व सुगम होने की रिपोर्ट दी है अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वांछित मार्ग स्वीकृत किया जावे।

अंततः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी गोमन्दराम की कृषि भूमि को कोई स्वीकृत रास्ता नहीं लगता है एवं उक्त बाबत् रास्ता आत्यन्तिक आवश्यकता होने के कारण, लघुत्तम होने के कारण एवं केवल जोत के सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं होने के कारण स्वीकृत किया जाना समीचीन है। उक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत इस न्यायालय को किसी भी काश्तकार को अन्य काश्तकार की भूमि से रास्ता खेत स्वीकृत करने की शक्तियाँ प्राप्त होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश ::

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251"क" राज.काश्त. अधिनियम 1955 को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की कृषि भूमि वाके चक 7 एलएम–ए का मुरब्बा नं. 29 पत्थर नं. 275/478 के किला नं. 1ता11 की कुल 2.783 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि में आवागमन के लिए रास्ते की आवश्कता को परमावश्यक मानते हुए एवं वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध हो जाने के आधार पर अनावेदक की कृषि भूमि चक 7 एलएम–ए का मुरब्बा नं. 28 पत्थर नं. 275/477 के किला नं.–25 के दक्षिणी पूर्वी कोने में 2–2 बिस्वा चौड़ाई का रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ता की एवज में आयी भूमि के बदले में अप्रार्थीगण को भुगतान करने हेतु राज.काश्त.(सरकारी) नियम, 1955 की धारा 70 की उपधारा–1 के अधीन संदेय प्रतिकर (मुआवजे) की राशि राज.स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित की गयी [illegible] (डी.एल.सी.दर) के दो गुणा राशि तहसील कार्यालय, अनूपगढ़ में जमा करवाने के [illegible] उक्त प्रतिकर राशि जमा होने के उपरान्त तहसीलदार अनूपगढ़ स्वीकृत रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें एवं अप्रार्थीगण को प्रतिकर राशि का भुगतान उनके रास्ता में आयी भूमि के मुताबिक किया सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.08.01 14:32:30 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 30.06.2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़